The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024-Motion for Consideration

HON. CHAIRPERSON: Item nos. 34 and 35 to be taken up together for discussion. Now, the hon. Minister.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): श्री अर्जुन मुंडा जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं:-

?िक आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।?

और

?िक ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।?

माननीय सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर हम आज विचार करेंगे।

आदरणीय महोदय, उसके साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

महोदय, इस देश में जनजाति क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए अनेक योजनाएं गत् 10 वर्षों से चली आ रही हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ विकसित भारत हम देख रहे हैं और इस दिशा में जब दूर-दूर के गांवों में हमारे ऐसे ग्रुप से, जो अति पिछड़े हैं और जिनको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, जो कि पर्टिकुलरली वर्नलेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी हैं । हमारे ऐसे जनजातीय क्षेत्र में जो ट्राइबल्स हैं, वे अभी भी इस पीवीटीजी की लिस्ट में नहीं आए हैं ।

महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के इस विधेयक के द्वारा राज्य के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजी, जिनका अभी तक इस जनजातीय क्षेणी में समावेश नहीं हो पाया है, ऐसे तीन समुदाय जैसे कि बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, कोंडा सावरा को जनजाति समुदाय में शामिल करने हेतु और ऐसे ही ओडिशा के हमारे ओडि भुइयां, चुगत्याबुंजा, बोंडो और खड़िया ऐसे हमारे ओडिशा के संबंध में संविधान में आज इस आदेश के द्वारा विधेयक के रूप में वर्ष 2024 के विचारार्थ इस विधेयक के जिरए हमारे दोनों राज्यों में ऐसे रहने वाले समुदाय, जो आजादी के बाद इतने लंबे कालखंड के उपरांत भी अपनी पहचान जनजातीय समुदाय के रूप में नहीं बना पाए, आज उनके समावेश का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं चर्चा के बाद विशेष रूप से और जानकारी सदन को जरूर दूंगी । मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस पर चर्चा और विचार करें तथा सब मिलकर एक साथ इस बिल को पारित करें, ताकि पीवीटीजी ग्रुप को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक नए रूप में प्रधान मंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप में बजट भी दिया है और उनके विकास के लिए एक संकल्प लिया है । मुझे लगता है कि सभी इसके साथ जुड़ें और इस पर विचार करके इस बिल को पारित करें ।

HON. CHAIRPERSON (Shri A. Raja): Motions moved:

?That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Andhra Pradesh, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

and

?That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the State of Odisha, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 which categorise certain tribes from Andhra Pradesh and Odisha as Scheduled Tribes, including some PVTGs.

Before I start on this Bill, I would like to request this Government, through you, that we need special category status for Andhra Pradesh. We have been demanding this for multiple times and the Central Government has been ignoring the genuine demand of Andhra Pradesh. Because of the AP Reorganisation Act, we need the special category status to and special focus on the State of Andhra Pradesh.

Sir, now I come to the Bill. Let me give the background first. In India, we have around 730 Scheduled Tribes according to Article 342 and 75 PVTGs which constitute 8.6 per cent of the population as per Census 2011. If we look at the total

population of 140 crore, it means there are around 12 crore *adivasis* throughout the country.

There were specific criteria of who can be a Scheduled Tribe. I will list them. They are: indication of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large and backwardness. We were in the Government previously also. There used to be a procedure where a JPC would be constituted and MPs of both the Houses would be its Members.

They used to visit places and undertake site visits. They used to check these criteria and would recommend who is a Scheduled Tribe and who is not. What I have been seeing for the last four to five years is that we started with Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and by now, I think, we have included almost 150 to 200 tribes as Scheduled Tribes.

I will talk about Odisha now. Anyone who goes to Odisha Government to demand a tribal status, they recommend it and send it to the Central Government. The Odisha Government has sent about 180 tribes to be considered as Scheduled Tribes.

This naturally raises a concern if all the cases are genuine or not. I will explain the process and how it happens. It is first recommended by the State Government. Then, it is concurred by the Registrar General of India (RGI) and the National Commission for STs. Then, the Ministry comes with a Bill where a Scheduled Tribe status can be accorded to a particular tribe.

Previously, I have raised this concern about Himachal Pradesh also. In the Bill, they mentioned that this section of people from this community are Scheduled Tribe and this section of people do not want to be Scheduled Tribe, consider them Scheduled Caste. How is it possible? Is there proper verification happening? This is a concern of all tribals. If you make everyone tribal, where will the tribals go? Whether due consideration, due norms have been followed or not is the main concern for us.

In this particular Bill, I will talk about Jhodia community. I have raised this issue of Jhodia community multiple times. They have been demanding inclusion of Jhodia as synonym of Paroja at serial No. 55 in Schedule Tribes list of Odisha. There are about one lakh people in undivided Koraput district and some parts of Kalahandi who are from Jhodia tribe. They used to get tribal status till 1997.

What happened in 1997? Due to industrialisation, you cannot acquire the tribal land. So, in the registry, the tehsildar and the officers used to write they are non-tribals and because of that they have been removed from the list. They are same as Jhodia Paroja. At serial No. 55, they have included ?Solia Paroja ?. Barong Jhodia Paroja?. In Barong Jhodia Paroja, there is spelling correction. But if you look, the middle word is ?Jhodia?. If you do not include Jhodia in this particular list, this tribal community will never get the tribal status. They are genuine tribals. Their inclusion in entry No. 55 of the list has been required.

I welcome Dhurva and Nuka Dora and all of undivided Koraput district. They have been also demanding. This is a genuine demand. I would request, through you, that a proper verification needs to be done whether all the cases are genuine or not. This concern is there. We have a limit on reservation and it is 50 per cent limit, comprising SCs, STs, and OBCs. EWS is separate. There is no inclusion of financial memorandum also. They are saying with the same budget we will go ahead. If the tribal population goes up from 12 crores to 15 crores, then we need equal representation as well.

I will talk about a few issues. These people are now tribals but I want to explain what is happening in this country. It will take cognisance of the fact as to what will happen to them. The biggest problem for tribals is displacement, land alienation. जल, जंगल, जमीन, जो हम लोग कहते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है । मैं आपको आंकड़ा देता हूं । 80 परसेंट लोग जो डिसप्लेस होते हैं, वे आदिवासी ही होते हैं । हम लोगों का टोटल पॉपुलेशन में जो भागीदारी है, वह केवल 8.6 परसेंट है । We are only 8.6 per cent tribals but 80 per cent of the tribals get displaced because of development projects. What is happening? From 2014, they have tried to dilute the Land Acquisition Act.

They have tried to dilute it. They were stopped. Now, they are diluting Forest Rights Act. The Forest Rights Act was a flagship programme of UPA Government where we used to give land to the tribals. If they are cultivating in a particular land or if they are staying in a forest land, we used to give them FRA. What is happening now? In the last ten years, they have come up with CAMPA, compensatory afforestation, and climate change. They are not settling the forest rights? claims. There has been 80 per cent rejection of claims. This is dramatically happening after 2014.

The third important attack is the privatisation of PSUs. We have tribal reservation policy in jobs and all. But if you do not have PSUs, then there is no way you will utilise your reservation. They are trying to disinvest Nagarnar Steel Plant, NDMC,

Bastar. They are trying to disinvest the steel plant in Vizag. If you talk about NALCO, they are trying to disinvest that through direct means. We created PSUs. The Congress Party created PSUs so that we can take care of the tribals, SCs, minorities, and all. This is one big attack on the tribals.

Sir, then there is the issue of closure of schools. What is happening is small schools are making clusters. They are closing the schools. They have developed a model called Factory School. We have read recently in Canada and Australia, the Government apologised to the indigenous people because they were brought out and sent to the boarding schools. There is a town. They were brought out of the villages. They were given education in boarding school. They lost their identity completely. They lost their culture completely. In this concept of factory schools, they take the tribal children from villages, from the interior areas. They get them educated in cities.

The sponsors of these schools is mining mafias and big industrialists like Ambanis and Adanis. They sponsor these big factory schools and slowly our culture is getting diluted.

As regards implementation of roster system, this is a very important point and it has always been the demand of the ST, SC and OBC people. Now, if we have some vacancy in a Central University, or any opportunity, this roster system was always subdued and someway what they will do is that if in this seat ST/SC is available and under roster system it is not filled, then they say that they did not find qualified people. In turn, what they do is that they take general people in it.

I think that the Government is claiming that they have started enforcing the roster system after 2019, but I doubt it. Now, what is happening is that if they do not get permanent employees, then they go in for contractual employees. Again, in contractual employees they do not have any reservation system for SC/ST/OBC people.

The biggest fraud which is happening here is the Budgetary allocation in Tribal Sub Plan, the ST Sub Plan and the SC Sub Plan. I have checked with various Ministries and found that in 50 per cent of schemes in 46 schemes which are general in nature with no physical targets for SC and ST. This is meant for Tribal Sub Plan, Tribal ST Sub Plan, and it is meant that you need to have physical target, which will cater to ST and SC people. But unfortunately, this is not happening. They have schemes and the Ministry is utilising the money, but nothing is there.

As regards higher education, Rs. 200 crore or Rs. 250 crore have been sanctioned for IIT's to ensure that Ph.D. students get educated. Nearly, 85 to 90 per cent of the Ph.D. seats for SCs and STs are vacant. Where is the money going? Since there is no physical target, one cannot compare. So, that is going waste.

The biggest challenge is the diversion of SC/ST Welfare Funds as deemed exception. If you see a particular project like if it is supposed to be for SC/ST, this will be diverted to other area where flyovers, roads, etc. will be built and they would say that this is a deemed expenditure which is happening again in the background.

The other important point and attack is the lack of legislative framework for implementation of SC/ST schemes. This has led to lack of implementation of almost all the schemes. We need a legislative framework and also a tribal policy. We have been demanding this multiple times. As regards Eklavya Model School, around 75 per cent vacancies are there. We have buildings, but no teachers are available there. Inclusion in the finance system is also a very important point. As a tribal, I cannot sell my land to a non-tribal and that is fine.

मैं उससे सहमत हूं कि हमें भूमिहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा है । मेरे पास जगह है, मैं उसको डेवलेप नहीं कर पा रहा हूं । पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिल रहा है, शादी के लिए लोन नहीं मिल रहा है, इंटरप्रेन्योर के लिए लोन नहीं मिल रहा है । आपको कहीं पर भी एक भी आदिवासी इंटरप्रेन्योर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं है । That is fine. You come with some policy. But what happened is that हमारी राज्य सरकार यह बोले कि सारे आदिवासी नॉन आदिवासियों को अपनी जमीन बेच दो । ये क्या समाधान है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कभी बैठक ही नहीं करती है । They sit once a year or once in five years. Nobody knows what is happening in the Tribal Advisory Council. The Tribal Advisory Council supposedly recommended that tribals can sell land to non-tribals. We condemn it. This is not the solution. The problem needs to be understood.

नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे । आपको प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी । मेरी जगह है, वह पड़ी रहती है । कम से कम सरकार को आगे बढ़कर हम लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार भी वही कर रही है land acquisition for Bharat Mala, mining projects, industries. ? (Interruptions) आप हमारी जगह तो ले रहे हैं । आप एक एकड़ को 50,000 रुपये में खरीद रहे हैं । एक आदिवासी को अपनी जगह को डेवलेप करना है, तो हमें बैंक की तरफ से नहीं, तो सरकार की तरफ से कुछ दीजिए ।

Sir, I am the first speaker. Please give me five minutes and I will complete my speech. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is making pertinent points. Let him continue.

? (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): He is from a tribal community.? (*Interruptions*)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I am from a tribal community, but I am telling the problems being faced. These 10 important points the Central Government has been trying to minimise and dilute all the laws. They are trying to dilute PESA and Forest Rights Act. Now, fake Gram Sabhas are happening.

In Chhattisgarh, when the Government came into power, immediately they started deforestation in Hasdeo region. यही हो रहा है । ट्राइबल्स को ऊपर चढ़ा देते हैं कि हमने आपको ये- ये पद दिए हैं, एक-एक करके हमारे सारे अधिकार हटाए जा रहे हैं । The last nail in the coffin will be Uniform Civil Code. ये लोग उत्तराखंड में इसको लाए हैं । जब यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी ।

-

15.00 hrs

हमारी 750 ट्राइब्स हैं, लगभग 80 पीवीटीज़ हैं, हमारी सम्पति है, सभ्यता है, कल्चर है, परम्परा है, भाषा है, हमारा नाच-गाना है और जो मैंने दस पॉइंट्स बोले हैं, आप देख रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगा । आप रिज़र्वेशन को डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह चल रहा है कि जितनी भी डिमाण्ड्स आई हैं, सबको आदिवासी बना दो । Yes, there should be checks and balances. With this, I welcome their decision to include Durua, Dora, etc. आप लोग यह कीजिए । आइडेंटिकली यह बिल हर सदन में आता है तो what I say is that you should constitute a JPC. एट लीस्ट एमपीज़ को उसका मैंबर बनाइए । पूरे देश में हर जगह जो ये जैनुइन डिमाण्ड्स हैं, इनको कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि कौन आदिवासी हैं और कौन नहीं है । इससे चैक्स एंड बैलेंस भी होगा । अभी मुझे पता नहीं है कि आरजीआई ने क्या दिया है, क्योंकि इलेक्शन से पहले स्टेट का बिल आ जाता है ।

I do not exactly know what happens. I am sure the Government will take cognisance of it. The hon. Minister is a tribal leader. He will take cognisance of it and ensure that the tribals are not facing any injustice. With these words, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister wants to intervene.

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, थैन्क यू। आज सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो राज्य सभा में पारित हुआ है। यहां दो विधेयकों को इकट्ठे चर्चा के लिए सदन के सामने रखा गया है।

चेयरमैन सर, संविधान सुधार में कुछ एसटी कम्युनिटीज़ को सूची में पीवीटीज ग्रुप में एनरोलमेंट किया गया। ओडिशा की कुछ कम्युनिटीज़ लगभग 15 कम्युनिटीज़ को थोड़ा टाइपोग्राफिक करेक्शन के साथ और 50 सब ग्रुप्स की लंबे समय से जो अनोमलीज़ थीं, उनको सुधार के लिए इस सदन के सामने दो स्पेसिफिक प्रस्ताव हैं। इसमें चार पीवीटीजी और 15 कम्युनिटीज़, जिसमें 50 सब ग्रुप्स लाभार्थी होंगे, एक विधेयक ओडीशा के संबंध में लाया गया है, जो आन्ध्र प्रदेश में भी लाया गया है।

चेयरमैन सर, मैं इस विषय को दो-तीन शब्दों में वर्णन करूंगा। अभी मेरे मित्र सप्तिगरी उलाका जी, जो हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइबल संसदीय क्षेत्र कोरापुट के प्रितिनिधि भी हैं, वह बड़े पेशनेलट्ली कुछ विषयों का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कुछ विषय सही भी कहे हैं कि किसी भी व्यवस्था में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन व्यवस्था है, उसका सभी को पालन करना चाहिए। वह चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव सभी को पालन करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में मैं दो-तीन विषय कहूंगा। इसी सदन में जिस महत्व के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया, वैसे ही ऐतिहासिक है।

मैं ओडिशा से आता हूं । आज चार प्रिमिटिव ट्राइब्स का इन्क्लूजन और 50 सब ग्रुप्स का एनोमली करेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है । जब देश की राष्ट्रपति ओडिशा की एक आदिवासी घर की महिला हैं, उसी समय में इस प्रकार के महत्वपूर्ण संशोधन लाना सरकार की मंशा के इंटेंशन के बारे में इंडीकेशन करता है ।

सभापित जी, सरकार ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए किमटेड है, सरकार गरीब कल्याण के लिए किमटेड है । मैं उसके दो-तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं । सप्तिगरी जी कई प्रकार की एनोमलीज़ के बारे में बात कह रहे थे । एनोमलीज की बात तो ठीक है, लेकिन आप जिस पार्टी से आते हो, इस पार्टी ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है ।

आपकी कई पीढ़ियों ने राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार में भी आपने प्रतिनिधत्व किया और अब खुद यहां आ गए हैं । ओडिशा का जो जनजातीय समुदाय है, उसकी एनोमलीज़ कब ठीक हुईं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे । यह मसला कब से चल रहा है? ओडिशा सरकार में 169 जातियों की कई प्रकार की एनोमलीज़ हैं । ऑन रिकॉर्ड जो मिल पा रहा है, तो यह विषय वर्ष 1979 से लगभग 40-45 सालों से चल रहा है ।

जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने तो वर्ष 2002 में ओडिशा की एनोमलीज़ में संशोधन करने का पहला प्रयास था । आपकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी की सरकार दिल्ली में भी रही और राज्य में भी रही, लेकिन संशोधन नहीं हुआ । अब आप बोल रहे हैं कि इस सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया ।

दूसरी बार कब संशोधन हो रहा है? वर्ष 2024 में । मैं तो ओडिशा की ओर से, ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं, भारती जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल और कदम इस एनोमलीज को खत्म करने के लिए उठाया है । इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने नवम्बर, 2015 में अनाउंस किया था कि देश में जो पीवीटीजी की 75 कम्यूनिटी है । There are only 75 tribal PVTG communities all over the country. Their number is around 35 lakhs. वह कह रहे थे कि चुनाव आने से होता है । इसमें वोट कोई मायने नहीं रखता है ।

We are spending a budget of Rs. 24,000 crore. The Government has come out with a scheme, the Pradhan Mantri JANMAN Scheme. This is the commitment of Prime Minister Modi for the tribal community of the country. यह हमारी प्रतिबद्धता है । हम एक चरणबद्ध तरीके से हर विषय के समाधान का रास्ता निकालते हैं । हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करना । सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सरकार हम चलाते हैं ।

आज एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कदम है । 112 जिलों को एस्पिरेशनल जिले के रूप में फोकस तरीके से डेवलप करना, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है । मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा । वर्ष 2013-14 में यूपीए सरकार के आखिरी साल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बजट का साइज 4300 करोड़ रुपये था ।

Now, in the recently tabled Budget 2024-25, the allocation is Rs. 13,000 crore. There is an increase of three times. वह आपकी प्रतिबद्धता थी, यह मेरी प्रतिबद्धता है । यह सब कुछ प्रमाणित करती है । ये जो आंकडे हैं, यही तथ्य है ।

एकलव्य विद्यालय पहले वर्ष 2014 में 100 के लगभग थे। आज 400 एकलव्य विद्यालय खुल चुके हैं और 740 तक यह संख्या पहुंचेगी। लगभग 29 हजार करोड़ रुपये का खर्च करके ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए यह व्यवस्था की गयी है। हायर एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। पीएचडी में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है।

स्टीम एजुकेशन में ट्राइबल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। यह प्रमाणित करता है कि पिछले दस साल में हमारी सरकार एक सिस्टेमेटिक तरीके से ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, भारत की राष्ट्रपति जी से लेकर के गांव-देहात में रहने वाले, आज पहली बार, अभी ये ट्राइबल प्रोड्यूस की बात कह रहे थे। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ एक चुनौती देता हूं कि किस सरकार के समय में फोरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की घोषणा की गयी थी? वह मोदी सरकार द्वारा की गयी थी।

आपने भाषण दिया है, ट्राइबल पोलिटिक्स की है, ट्राइबल सेंटिमेंट को आपने गुमराह किया है। आपने कुछ नहीं किया है। करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मिला है।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

? (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह हमारी सरकार की उपलब्धि हैं । मैं इस बिल का ओडिशा की ओर से, साढ़े चार करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं । देश की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से आभार प्रकट करता हूं । इस हिस्टोरिकल निर्णय को, इन एनोमलीज को ठीक करना और मैंने जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एमएलए के रूप में किया है, एमपी के रूप में किया है, वहां पावडी भुइयां के नाम की कम्युनिटी है ।

They all stay in the hills of a very remote area. वह ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन उसको मान्यता नहीं थी । कोई व्यवस्था ही नहीं थी । पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनको जनजाति की मान्यता दी । जिसके लिए उनको ख़ुशी होनी चाहिए । आपने नहीं किया ।

You ruled this country for decades. आपके कई प्रधान मंत्री रहे हैं । आपको यह सब करने से किसने मना किया था । अगर यह सरकार कर रही है तो यह प्रशंसा की पात्र है, समर्थन की पात्र है । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सभी से इसके साथ जुड़ने की अपील करता हूं । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Before calling Mr. Senthilkumar, two important points have been made by Shri Saptagiri.

One is deforestation for industrialisation, industrial purpose, relocation and another is closure of PSUs which will have a negative impact on the employment opportunities of tribals. It should be kept in mind by the Government.

I would appreciate any message taken by the Government. These two important points he made before the House.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024.

At the outset, I would like to support and welcome this Bill. Whenever certain communities want to come into the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, it is always a welcome move. That is because, the facilities which the privileged society people have been enjoying, the facilities which were being denied to these people so far, the facilities of reservation in education and jobs will be given to them now. Many youths would be benefited from this.

Similarly, in Tamil Nadu Government, our Chief Minister Thiru M.K. Stalin had given suggestions to the Union Government to include the Narikuravan and Kurivikkaran communities. We thank the Tribal Affairs Minister for inclusion of those communities under the ST list. You are well aware that many more communities deserve a rightful place in this Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill. For instance, your own constituency Nilgiris, the Badaga community has been asking to be included in the Scheduled Tribes list for a very, very long time. Kurumbars have 13 synonyms in my constituency. Also, Lambadis are there from my constituency. Tamil Nadu Government has sent a detailed report for inclusion of 13 Kurumbar communities in the Scheduled Tribes list. We urge upon the Government, through you, to include these 13 communities and also the Lambadi community and other communities at the earliest. DMK has always been a voice of the Scheduled Castes,

the Scheduled Tribes and of the minorities. We have done a lot for these people and we are very proud in doing this.

Regarding the Arunthathiyar community which is a Scheduled Caste community, it is the DMK Government under the great visionary leader Dr. Kalaignar Karunanidhi who had given, among the reservation of 69 per cent, 3.5 per cent special reservation within the reservation for this very backward class which has been brought under the Scheduled Caste list and Arunthathiyar community has been benefiting out of this. It has always been within the DNA of DMK to support the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes not just in words. You would be aware that when DMK had a representation within the Union Government it had always given importance to Scheduled Caste people, dalit people within the community which were holding important portfolios. You are very much aware that the Minister of State for Health and the Minister of Information and Broadcasting was none other than A. Raja who is now in the Chair presiding over here. It is not only regarding this; it is always within the DMK organisational body also. Right from the village level to the organisational body, we have always reserved one seat for the Scheduled Castes and one for women. It is a very good thing that out of our five deputy organisational secretaries, two belong to the Scheduled Caste community. I am insisting on all this because just a few days back in this very House, a demand for national disaster relief was made in this House for Tamil Nadu. We would very much welcome it if the MoS of that Department replies to it. But a Minister from Tamil Nadu, out of turn, had got up to speak.

HON. CHAIRPERSON: Come to the subject.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I am coming to the subject. We welcome it to fight against ideologies; we welcome it to fight against principles, but we do not want a caste colour to be attributed for each and everything. That day, it was just a discussion asking for a relief fund. But on the video and outside, it was publicised by the Treasury Benches by saying that the Minister was belonging to a dalit community and that is why DMK is against him. It is not so. You can go through the records again. Not in one place was it mentioned.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Please fight with us on ideologies. Please fight with us on principles. But do not attribute a Scheduled Caste colour or a dalit colour to everybody and make things unpleasant.

Thank you for giving me this opportunity, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024. Both these Bills are being taken together.

The first Bill relates to the inclusion of certain tribes in the list of Scheduled Tribes in Andhra Pradesh. The second Bill relates to exclusion of some tribes from Scheduled Castes and their inclusion in Scheduled Tribes community. Shri Saptagiri Sankar Ulaka spoke very well. He belongs to the tribal community. He is an Engineer. He understands the pain because he is from Koraput. But the fact is that Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are still being neglected throughout the country. You are including a few tribes in the list of Scheduled Tribes as per Article 341 and Article 342, as is the Order. There is no problem regarding that. We all support that.

Sir, in every State, there are separate lists of Scheduled Tribes. So, in the case of Andhra Pradesh and Odisha, this list has been amended. But it would have been very good if the hon. Minister of Tribal Affairs was here. He is not here. And one hon. Minister from Rajya Sabha came and made the same speech that he made in Rajya Sabha. He is Shri Dharmendra Pradhan. I was expecting Dr. Bharati Pravin Pawar to speak. As she is a junior Minister, she has not spoken yet.

HON. CHAIRPERSON: No, she will speak.

PROF. SOUGATA RAY: She will reply. But why did Shri Dharmendra Pradhan have to speak on this Bill?

Sir, I still want to say that the conditions of tribes in this country are still not up to the mark. You know where the main Maoist insurgency is taking place. It is taking place in Bijapur in Chhattisgarh and Gadchiroli in Maharashtra. We have not been able to wean off the Scheduled Tribes from the path of violence. Certain amount of development was called for but that has not happened. This year in the Budget, the allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been reduced by this Government, which I totally criticise.

Hon. Chairperson, Sir, Mr. Dharmendra Pradhan was saying that only the Modi Government has done certain things. One of the good things which UPA did -- they did many mistakes also -- is that they brought the Forest Rights Act. This was the first comprehensive Bill on the Forest Rights Act and the right of the tribals to collect minor forest produce. But that has not happened. We can say that -- whereas Chhattisgarh has failed; whereas Maharashtra has not succeeded; whereas Telangana still has some problems -- West Bengal has shown a lot of success especially in the west of the State which was Maoist infested. There we have brought total peace just by giving more jobs and bringing more development. Even before the Government introduced it, we gave free ration to the tribals. That is the way it should have been done.

Hon. Chairperson, Sir, you are from Nilgiris. So, you know the problems of Badagas, non-Badagas. There are problems in Nilgiris also.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

PROF. SOUGATA RAY: But the main problem is that the big multinationals are eyeing these forest areas. It is because Chattisgarh has the maximum deposits of bauxite and so is Odisha. Dharmendra Pradhan did not speak about it. Malkangiri district is full of bauxite and other minerals.

Now, there is Scheduled Tribe Order in the Constitution. It says that you cannot acquire tribal land without the permission from the Gram Sabhas. But an attempt is being made by the big multinationals to take over the forest lands. Vedanta is a case in point. They are constantly making efforts for taking these bauxite mines over for manufacturing aluminium. Other big multinationals are also in the race. We have seen there has been some inclusions and some exclusions. In Andhra Pradesh, the inclusions are for Entry 25 and for Entry 28, certain changes have been made.

In case of Odisha, names of two communities listed as Scheduled Castes are being eliminated/omitted and they are included in the Scheduled Tribe. So, that is a big change. The other point that I want to mention to you is that at present the process of including the name of a Tribe in Scheduled Tribe is rather cumbersome. What you have to do is that first the State Government has to recommend. Then, it will go to the Registrar General of India. After getting the permission of Registrar General of India, the Government of India will give the Order. Then, it will come to Parliament in the form of an Amendment Bill.

HON. CHAIRPERSON: It will go to the National Commission also.

PROF. SOUGATA RAY: Yes, you are absolutely right. So, this process must be simplified. The process of including the names of Tribes in the list of Scheduled Tribes should be streamlined and it takes years and years together for this streamlining to take place.

I shall request the Minister to visit the tribal areas of West Bengal and find out where Chhattisgarh has failed, where Maharashtra has failed in Gadchiroli, where Odisha has failed in Malkangiri and how West Bengal has succeeded in Jangal Mahal to bring peace and prosperity by improving them. The tribals do not have many demands. They want two square meals a day. They want some work. I think when West Bengal gives work to tribals under MGNREGA, the Centre will not release the money. Rs. 7,300 crore are pending. The Centre is using MGNREGA as a weapon to twist the arm of West Bengal. I totally condemn this.

Let us deal with the problem of Scheduled Tribes with compassion and sympathy.

With these words, I support both the Bills. I hope Dr. Bharti Pawar will give a fitting reply.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much Sir for giving me this opportunity.

Firstly, I would like to thank the hon. Chairman for allowing me to share a few thoughts on the proposed amendments.

I would like to thank the Government for the inclusion of certain communities in the lists of Scheduled Tribes in Andhra Pradesh. We have had multiple legislations in the past seven decades on this very important subject, considering the SC and ST communities as a priority to be taken up in this Session. I would like to discuss a few of them. Firstly, I would speak on the budget allocation for tribal affairs. Following the goal of *Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas,* there are over 705 Scheduled Tribes in India, and the preservation of their cultural legacy and tribal development have taken precedence through the implementation of important schemes such as the Van Dhan Vikas Karyakram, Eklavya Schools and Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan.

In this regard, I appeal to the Government to create a tribal-inclusive Budget. In the interim Budget of 2024-25, the Government has allocated Rs.13,000 crore to the Tribal Affairs Ministry, a significant increase of 70 per cent above the amount provided in 2023-24, which was Rs. 7,605 crore.

Certain crucial schemes have also received an increase in allocation which are essential components for the development of tribal population. For the establishment of Eklavya Model Residential Schools, the Government has allocated Rs. 6,399 crore in 2024-25, a 150 per cent increase over Rs 2,471.81 crore allocated for this purpose in 2023-24. The Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana now has an increased allocation of Rs. 1,000 crore instead of Rs. 300 crore. I appreciate that the expenditure on research institutes for tribal studies has been increased from Rs. 50 crore in 2023-24 to Rs. 111 crore in 2024-25. But Andhra Pradesh Tribal University did not receive any allocation in this Interim Budget as opposed to the previous allocation. Additionally, in terms of spending on higher education, the National Tribal Fellowship and National Scholarship for higher education of ST students have received a reduced allocation of Rs. 165 crore in 2024 25 instead of Rs. 230 crore allocated in 2023-24. Therefore, I urge the Centre to ensure that the budgetary allocations for the schemes are increased by a large margin.

A new obstacle has been hovering in the development process of Particularly Vulnerable Tribal Groups which is creating difficulty in obtaining reliable and updated information. Reports suggest that there were about 27.6 lakh people who had been registered in the 2001 Census, but there is no definitive way to verify this number.

In addition, Ministry of Tribal Affairs is still conducting baseline surveys, but it has not yet produced an accurate and current record for PVTG inhabitants. The population figures of 2022 that were submitted to the Parliamentary Standing Committee were based on the 2011 Census, which did not account for the entire population across the country. Thus, there is an urgent need for a precise evaluation of the requirements and advancement of PVTG communities as advised by the National Advisory Council, 2013 to ensure the availability of comprehensive data on housing, health, and education for the inclusive development of the communities. There are currently 1,262 de-notified tribes, nomadic and seminomadic tribes and these groups are still marginalised in socioeconomic terms. Many committees for de-notified tribes were previously established to locate these groups and create State-by-State lists of various castes of de-notified tribes. The Government should prioritise the creation of a permanent commission for denotified, semi-nomadic and nomadic tribes, modelled after commissions for SCs, STs and OBCs.

To further benefit the tribal population, extensive research should be done to determine which denotified tribes should be included in the ST list. There should be uniformity in categorization and educating the DNT, NT, and SNT populations. They should be made aware the need for their participation in the mainstream so that the development goals set for their development can be achieved.

Lastly, I would like to add that the Centre is championing the cause of tribals through various initiatives but many more gaps need to be addressed through targeted measures for the tribal community to ensure their inclusive development in the *Amrit Kaal*.

With these words, I support this Bill. Thank you.

SHRI RAMESH CHANDRA MAJHI (NABARANGPUR): Hon. Chairperson, sir,

I stand here to support the Constitution (SC/ST) Amendment Bill 2024 brought by our hon. Minister of State, Dr. A. Bharti Pawar. Especially, I want to highlight here that, out of 169 communities, 15 tribal communities have been recommended to the Centre to be accorded ST status.

Our CM Naveen Patnaik has recommended 169 communities from Odisha to the centre to be included in the ST list. From among them 15 communities are going to avail the status. By this sir, 50 subcastes from among these communities will also be benefitted. For this I express my gratitude before the Union Govt, that they considered this matter with all seriousness. In my district, Nabarangapur, Jharia, Konda Reddy communities exist. We feel so happy that this Bill has been passed in the Upper House and our demands are going to be fulfilled soon.

In Odisha, hon. CM Shri Naveen Patnaik is very much sensitive towards the development of tribal communities. So special tribal councils have been constituted in 23 districts to speed up the development initiatives targeted for these communities. Paidi bhuyan, Chultia Bhunjia, Binda, Mankaria communities are included in the Tribe list.

I want to urge the Central Government to include the left out communities in this list also.

Along with this ?Tamadia SC communities are uplifted to ST status as per the recommendation of the State Government. Similarly, Bhanja Pueanand Tamedia Puran communities are also going to be included in the ST list

Today we can see in Odisha, 6000 hostels are dedicated to the ST communities and by this, 6 lakh students are getting benefitted every year.

In my State, 4 lakh tribes are allowed forest rights.

I again thank the Govt for bringing such a reformative Bill in the interest of the tribal communities of our state.

Thank you

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापित महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

महोदय, मैं सरकार के इस फैसले स्वागत करता हूँ कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कुछ जातियों जैसे पोरजा, परन्जी पेरजा, सवरस, कापू सवरस, मलिया सवरस, खुटटो सवरस जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, मेरा मानना है कि मात्र कागजों में अनूसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लेने से किसी जाति का समग्र विकास होना असंभव है । जब तक कि उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था न दी जाए । मेरा मानना है कि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र शिक्षा से बहुत पिछड़े हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि अगर आप अनुसूचित जनजातियों के लोगों का समग्र विकास चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएं, जाहं पर उनके रहने और भोजन की व्यस्था हो और वहां पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था निशुल्क होनी चाहिए । अगर आप इस तरह से अनुसूचित जनजाति का ज्यादा विकास कर पाएंगे ।

महोदय, मुख्य रूप से भारत में रहने वाले जनजाति वर्ग में धन का अभाव रहता है, जिसकी वजह से इन वर्ग के लोगों को समाज में भी तिरस्कृत दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि यह वर्ग अपनी बेसिक नीड्स जैसे भोजन, कपड़ा और मकान को भी दिरद्रता के चलते नहीं पूरा नहीं कर पाता है। अनसूचित जनजाति के लोग देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो में रहते हैं जैसे साउथ इण्डिया, नार्थ इण्डिया और वेस्टर्न इण्डिया। भाषाओं में अंतर, रहन-सहन में अंतर और सांस्कृतिक कियाकलापों में अंतर, इन्हीं कारणों के चलते इनकी समस्या अलग और जिटल है।

देश के विभिन्न भागों में ट्राइबल लोग कानिक इन्फेक्शन और रोगों से पीड़ित है, जिसमें ज्यादातर जल-जिनत रोग है जो उनके जीवन को नष्ट कर रहे है । अनुसूचित जनजाति के लोगों का कंट्रोल प्राकृतिक संसाधनों पर से घटता जा रहा है, जैसे खेती, जंगल, जल आदि-आदि । यह इनकी मूल समस्या है, क्योंकि इनकी जमीनों को दूसरे लोग हिथयाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ।

तीसरा, जो सबसे बड़ी समस्या है वह अंधाधुंध नॉन-ट्राइबल लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्षय करना और वहा रह रहे ट्राइबल लोगों को कहीं अन्यत्र जाने के लिए मजबूर करना । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ यदि वास्तव में सरकार अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, देश की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, तो पूरे देश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जो रिक्त पद हैं, उनको शीघ्र भर कर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने का काम करना चाहिए । अगर सरकार पूरा बैकलॉग भरेगी तो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है, उसमें भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण के मुताबिक नौकरियां प्रदान की जाएं । साथ, परम पूज्म बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी है, 15 पर्सेंट अनुसूचित जाति के लिए और 7.5 पर्सेंट अनुसूचित जनजाति के लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के हिसाब से प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए । अगर सरकार सभी सरकारी विभागों का प्राइवेटाइज़ेशन कर देगी, तब तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरी मांग है कि प्राइवेट सैक्टर में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी अनुसूचित जाित के छात्र-छात्राएं टॉपर स्थान प्राप्त करते हैं । यूपीएससी में टॉपर स्थान प्राप्त करने का काम भी अनुसूचित जाित की बहन-बेटियाँ करती हैं । आज अनुसूचित जाित के लोग यूपीएससी की परीक्षा में पास करके देश के सर्वोच्च नौकरी प्राप्त कर रहे हैं । पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है, वह खत्म हो । अगर जज की नियुक्ति हो तो वहां भी यूपीएससी की तरह एक परीक्षा हो । उसमें जो बच्चे पास करके आएं, चाहे वे एससी-एसटी के लोग हो, उन्हें भी मौका मिले । सुप्रीम कोर्ट में भी उनको जाने का मौका मिले । उन्हें भी जज बनने का मौका मिले । मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग रखना चाहता हूं । यूपीएससी की तर्ज पर अलग से एक कमीशन बनाकर विधि के क्षेत्र में भी नियुक्ति की जाए, जिससे समस्त वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024 in respect of Andhra Pradesh and Odisha.

Sir, my friend Saptagiri Ulaka has spoken extensively and extraordinarily well today about the entire problem of SC and ST communities. I cannot understand one thing, and with full humility I would like to ask the Government in this regard. आप हमेशा एससी-एसटी के लिए अनेक राज्यों के बिल लाते हैं । दो दिन पहले आप जम्मू-कश्मीर का बिल लाये थे । आज आप ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बिल लाये हैं । आज की मंत्री महोदया महाराष्ट्र से हैं । मैं इनसे विनती करूंगी, क्योंकि वह खुद महाराष्ट्र से आती है ।

सर, उनको पता है कि हमारे राज्य में अगर सबसे ज्यादा आंदोलन किसी चीज के लिए चल रहा है तो किसान की न्याय मांगने के लिए चल रहा है। किसान के ऋण माफ हो, इसकी मांग के लिए आंदोलन चल रहा है। दूसरा, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टाकारी और वैजयंती की भामटा और रामोशी समाज के लिए आरक्षण की मांग चल रही है। हमारा महाराष्ट्र का एक भाई है, वह युवा नेता के रूप में उभर रहा है। उनका नाम जारांगे

पाटिल है । आज वह मराठा आंदोलन में बहुत लड़ रहा है । उसके बाद धनगर समाज का बहुत दिनों की मांग है, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी, तब उन्होंने दस साल पहले वायदा किया था कि वह धनगर समाज को आरक्षण देंगे, उसका क्या हुआ? अगर आंध्र प्रदेश में हो सकता है, अगर ओडिशा में हो सकता है, अगर जम्मू-कश्मीर में हो सकता है तो महाराष्ट्र में यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? यह सरकार महाराष्ट्र से क्यों नाराज है? यह 10 साल की मांग है । आज महाराष्ट्र में उनके 200 एमएलएज़ हैं और यहां 300 एमपीज़ है, तो फिर दिक्कत क्या है? अर्जुन मुंडा जी आज यहां नहीं है । वह हमेशा बहुत अच्छी तरह से हमारी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है । वे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है । आज दोनों जगह आपकी सरकार है । आप हर रैली में कहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण देंगे, धनगर समाज को आरक्षण देंगे, मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, लिंगायत समाज को आरक्षण देंगे, रामोशी और भामटा समाज सिहत सभी को आरक्षण देंगे, लेकिन फिर इसका प्रोसेस क्या है?

अभी प्रो. सौगत राय जी कह रहे थे कि क्यों न आप पूरे देश के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और हर राज्य से एक ही बार अच्छी तरह से प्रस्ताव लाए । आरक्षण के जो छोटे-छोटे नए बिल हर हफ्ते आते हैं, उससे अच्छा है कि आप राज्यों से मांगें कि उनका प्रस्ताव क्या है । यदि सब ने प्रस्ताव दिया तो उस पर आप विचार करें । यह सिर्फ पोलिटिकल नहीं होना चाहिए । जिन लोगों को न्याय मिलने की जरुरत है, धनगर समाज के बारे में बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं । आप देख रहे हैं कि मराठा समाज के आरक्षण के बारे में शायद चेन्नई के पेपर में भी न्यूज आयी है । अभी किनमोझी जी मुझसे कह रही थी कि आरक्षण के बहुत सारे मामलों के बारे में देश के जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बातें हो रही हैं । इसके बारे में सरकार को महाराष्ट्र से क्या नराजगी है, यह मुझे पता नहीं, लेकिन इनको सोचना चाहिए । अगर आज भारती जी रिप्लाई में बोलेंगी तो हम सब की महाराष्ट्र से अपेक्षा ज्यादा है कि वह महाराष्ट्र को न्याय दें ।

सर, अंत में, मैं दो छोटे प्वाइंट्स बोल कर अपनी बात खत्म करूंगी । धर्मेंद्र प्रधान जी बोलें कि आज तक इस देश में एससी-एसटी के लिए कुछ नहीं हुआ । मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूं । आपने सुना होगा कि डीएमके के विरष्ठ नेता कलैंग्नार करूणानिधि जी है । सर, आप भी उसी पार्टी से हैं । जब वह तिमलनाडु के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एससी-एसटी के लिए कितना काम किया था । श्री शरद पवार जी, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया था । आज भी महाराष्ट्र में उनके लिए अलग बजट बनता है । ऐसा नहीं है कि पहले किसी राज्य में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आरक्षण का जो मामला है, उसे राज्य नहीं सुलझा सकती है, वह दिल्ली में ही आता है और यहां पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करना पड़ेगा ।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सरकार से कह रही हूं कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है । यहां पर आपके 300 एमपीज़ हैं । आप मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टाकारी और वैजयंती के भामटा तथा रामोशी समाज की जो मांग है, उसके बारे में प्लीज सोचिए ।

मैं बहुत विनम्रता से फिर एक बार विनती करती हूं कि यह सरकार इस बारे में सोचे और कोई निर्णय ले । सिर्फ राज्य की रैलियों में ये कहते हैं कि आरक्षण देंगे, लेकिन जब करने की बात होती है, तो यह सरकार कुछ नहीं करती है । यह सरकार महाराष्ट्र के सारे समाज के खिलाफ है, ऐसा हमारा सरकार पर आरोप है ।? (व्यवधान) To just clear the record, it is Maratha, Dhangar, Lingayat, Muslim, Takari, Vijyanti, Bhamta and Ramoshi Samaj, सबका नाम मैंने लिया । So, the record is straight.? (व्यवधान) मराठा पर चर्चा करेंगे । सर, अगर आप एक मिनट दें तो मैं बोल सकती हूं । मराठा समाज की भी मांग हो रही है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Not now.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आज ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो अमेंडमेंट लाए हैं, दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024 आंध्र प्रदेश के लिए और दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर्स अमेंडमेंट बिल, 2024 ओडिशा के लिए लाए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । आज यह सदन और यह देश इसका गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब-जब सरकार आती है, वह इस देश के ट्राइबल्स के लिए अच्छा काम करती है । पहले यह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में हुआ करता था । अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्रिएट करके बना दिया । यह भारतीय जनता पार्टी की देन है । उस समय यह था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन हुआ करता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में the Scheduled Caste Commission and the Scheduled Tribe Commission have been separated. सौभाग्य से उस समय मैं ट्राइबल कमीशन में वाइस चेयरमैन था । मोदी जी के आने के बाद भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिन को इस देश में ट्राइबल दिवस के रूप में घोषित किया गया । यह ट्राइबल्स के लिए बहुत गौरवशाली दिन है ।

मैं कांग्रेस के वक्ता की बात सुन रहा था। जहां ट्राइबल है, वहां जल, जंगल, जमीन है। जहां ट्राइबल नहीं हैं, सब डेजर्ट हो गए हैं। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जंगल कहीं डिसप्लेस हुआ है तो पहले की कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। ट्राइबल्स का एविक्शन हुआ, ट्राइबल्स की लैंड छीनी गई, वहां इंडस्ट्री बैठाई गई, वहां फैक्ट्री बैठाई गई, ट्राइबल्स के राइट को छीना गया तो वह कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। हमारे दोस्त बिष्ट जी बोल रहे थे कि एजुकेशन एक बहुत इंपोर्टेंट विषय है। देश भर में मोर दैन 400 एकलव्य रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल्स हैं। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि वर्ष के अंत तक 700 एकलव्य रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल्स देश भर में होंगे। इसमें खाना, पीना, रहना, किताब, हॉस्टल सारा कुछ फ्री है। यह मोदी जी की गारंटी है।

मैं डॉ. भारती जी को एक चीज कहना चाहूंगा । रेजीडेंशियल मॉडल स्कूल में जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, इसको हमें घटाना पड़ेगा । पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश नार्थ ईस्ट तक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है ।

उसमें एकलव्य रेसिडेन्शियल मॉडल स्कूल बनाने में तकलीफ है। एकलव्य रेसिडेन्शियल मॉडल स्कूल बनाने का जो क्राइटेरिया है, इसको आप घटा देंगे तो ठीक होगा। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति हो गयी है और नक्सल एरिया में भी शांति आ रही है।

Hon. Chairman, Sir, tribals are very emotional and very sentimental. पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत एक्सट्रिमिस्ट था, सेंट्रल इंडिया में बहुत नक्सलाइट था। आज मोदी जी द्वारा उस एक्सट्रिमिज्म की अच्छे से सुनवाई हुई, पूर्वोत्तर के जितने भी उग्रवादी हैं वे सब मोदी जी के नेतृत्व में मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। वे सब ट्राइबल थे, ट्राइबल को डेवलपमेंट चाहिए, ट्राइबल की आवाज को आप इमोशनली सुनेंगे और इमोशनली उसके इश्यूज को टैकल करेंगे तो ट्राइबल इस देश से वादा करता है कि ट्राइबल इस देश के लिए अच्छा नागरिक बन सकता है। आज नक्सलिज्म को रोकने में गित आ रही है, मोदी जी द्वारा उसकी सुनवाई हो रही है। पूर्वोत्तर में जितने भी उग्रवादी थे, एक-दो आर्गेनाइजेशन को छोड़कर सब मेन स्ट्रीम में आ गए। यह मोदी जी की ट्राइबल वेलफेयर की पॉलिसी है।

अभी ओडिशा में जितनी एनोमलीज थी, उसको करेक्शन करके यहां लाया, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कुछ ट्राइब्स का इनक्लूजन हुआ । मैं मंत्री जी और इस सदन से कहना चाहूंगा कि प्रिमिटिव ट्राइव शब्द को खत्म करना होगा । आखिर वे इंसान है, उसको 70 साल तक प्रिमिटिव बनाकर रखना उन पार्टियों की कमी है । आज मोदी जी के नेतृत्व में प्रिमिटिव शब्द को इस डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा । इंसान को इंसानियत में लाना होगा, सभी को ट्राइबल बना दीजिए, वे एजुकेशन में आएंगे, एकलव्य स्कूल में पढ़ेंगे, फ्री-राइज दे रहे हैं । 75 साल की आजादी के बाद प्रिमिटिव शब्द को हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री तापिर गाव: महोदय, अंडमान निकोबार आइलैंड में सेंटीनेल है, सेंटीनेल आइलैंड आज तक दुनिया से डिसकनेक्ट होकर बैठा है । वह भी हमारा ट्राइबल है । इसको कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को प्रिवेंट करके रखा है कि किसी को भी उस आइलैंड में नहीं जाना चाहिए । No communication should be made to the Sentinelese. वह नोटिफिकेशन आज तक है । सेंटीनल्स को एक म्यूजियम का स्पेसिमेन बनाकर रखा हुआ । मेरी सरकार से अपील है, We should make efforts now. सेंटीनल आइलैंड को, सेंटीनल्स ग्रुप को मेन स्ट्रीम में लाना होगा । ट्राइबल एक्टिविटिज, ट्राइवल डेवलपमेंट देना होगा, उसको दुनिया के साथ जोड़ना होगा । कांग्रेस ने जो कानून बनाकर रखा था, उस कानून को बदल कर सेंटीनल्स को भी हमको लाना होगा ।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech.

SHRI TAPIR GAO: Yes, Sir, I am concluding within a few seconds. अरूणाचल प्रदेश से जितना स्टेट गवर्नमेंट ने सिफारिश किया, रजिस्ट्रारर जनरल ऑफ इंडिया से भी सर्टिफाइड है, एसटी ट्राइबल कमीशन से भी सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री में फाइल आया हुआ है । योबिन समाज आज तक एसटी लिस्ट में नहीं आया है, इसको भी लाना चाहिए । मेरी मिनिस्ट्री से यही दरख्वास्त है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों बिल्स का समर्थन करता हूं । नमस्कार, थैंक्यू ।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापित महोदय, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाित का दर्जा देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसके पहले सत्रहवीं लोक सभा में छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए बिल लाया गया था। हमारे देश में एसटी के दर्जे के लिए जितनी कम्युनिटीज़ मांग कर रही हैं, मेरी मांग है कि इन सबके लिए एक जेपीसी होनी चाहिए।

महोदय, असम में एक समुदाय है जो काफी दिनों से एसटी के दर्जे के लिए डिमांड कर रहा है और केंद्र सरकार वादा कर रही है कि एसटी का दर्जा दे देंगे लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया । असम में बीजेपी सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था । ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के दो मैम्बर इस हाउस के भी मैम्बर हैं लेकिन अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिऑर्गेनाइज भी नहीं किया गया ।

महोदय, एक समुदाय कोच राजवंशी है, इनको पश्चिम बंगाल में एससी, मेघालय में एसटी और असम में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। माननीय अर्जुन मुंडा जी इस समय हाउस में नहीं हैं, असम और टी गार्डन में मुंडा लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिला है, उरांव और कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिला है। हमारे यहां आदिवासी, जो टी गार्डन में हैं, अहोम कम्युनिटी की भी यही मांग है। गोरिया मुसलमान, देसी मुसलमान और कलिता कम्युनिटी भी एसटी दर्जे के लिए मांग कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है

। मणिपुर के पंगल मुस्लिम्स की ट्राइबल्स के साथ काफी सिमीलेरिटीज़ हैं । ये काफी दिनों से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, इस पर भी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है ।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि एक जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बननी चाहिए और जो भी समुदाय मांग कर रहे हैं, इनको एक साथ लेना चाहिए । एक पोलिटिकल लक्ष्य रखा जा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है ।

एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में तापिर गाव जी ने भी कहा है। इसका जो क्राइटेरिया है, उसे घटाना चाहिए क्योंकि किसी ब्लॉक में तो 50 परसेंट पापुलेशन ही है। इससे ट्राइबल्स को फायदा नहीं हो रहा है इसलिए इस क्राइटेरिया को घटाना चाहिए। इसके साथ ही, मैं मांग करता हूं कि एसटीज़ और एसटीज़ के लिए जो बजट है, उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए।

अंत में, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से बात रख रहा हूं।

महोदय, दोनों विधेयक ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाित की सूची में कई नए समुदायों को जोड़ने और शािमल करने वाले हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी अनुसूचित जाितयां हैं जो पहाड़ों में रहती हैं । उनको केवल आरक्षण से संरक्षण नहीं चािहए बल्कि सुविधाओं से संरक्षण भी मिलना चािहए । जहां ये लोग रहते हैं, वहां कोई रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है और यहां तक कि शिक्षा की सुविधा भी नहीं मिलती है । इस समुदाय के लोग काफी संख्या में जंगलों में रहते हैं । ये लोग अपने निर्वाह के लिए पूरी तरह से जंगलों में ही खेती करते हैं । इनको कोई सुविधा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है ।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं देश में कई जातियां हैं, जिनको केवल आरक्षण देने या केवल अनुसूची में शामिल करने से न्याय नहीं दिया जा सकता, उनको न्याय देने के लिए असल में वहां की समस्याओं को जानकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन लाना होगा।

महोदय, ओबीसी समाज की काफी संख्या में रिजर्वेशन है । महाराष्ट्र में जो मुद्दा चल रहा है, उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए । ओबीसी मराठा समाज के आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

16.00 hrs

मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान आदिवासियों के उत्थान के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करके इस विभाग का बजट 6 गुना बढ़ा है । केवल बजट बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यह बजट उन लोगों तक जाना चाहिए तथा उन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, यह बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । धन्यवाद ।

_

16.01 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (किटहार): सभापित महोदय, अनुसूचित जाित और जनजाित विधेयक, जो माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं, हम इनका समर्थन करते हैं । बिहार राज्य की कुछ जाितयां, जो विसंगित के कारण पूर्व से छूटी हुई हैं, माननीय मंत्री जी से हम उनके लिए मांग करना चाहते हैं और उसमें से कुछ के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की बिहार सरकार ने इन जाितयों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास भी प्रस्ताव भेजा है । इनमें लोहार और लोहारा हैं । जब जाित आधािरत गणना हो रही थी और जाितयों का विभाजन हो रहा था, उस समय अंग्रेज सरकार द्वारा लोहारा को अंग्रेजी में राइट-अप किया गया । उसमें R के बाद A पड़ता है । अत: लोहारा, जिनके लिए हिंदी में लिखा गया, वे तो अनुसूचित जनजाित में हैं, लेिकन जो लोहार में हैं, वह पिछड़ा वर्ग में आ गया । अत: एक ही परिवार, जाित, एक ही संस्कार, एक ही भाव के बावजूद लोहारा तो अनुसूचित जनजाित के आरक्षण का लाभ ले रहा है, लेिकन लोहार को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । उसी तरह से बिहार, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है । जो बंगाली हैं, वे समझते होंगे कि किसान का अर्थ है कृषक, जो कृषि करते हैं तथा चसोर का अर्थ हुआ चासी, जो किसान के नीचे होते हैं । वे जोत आबाद करते हैं । बिहार में किसान जाति को अनुसूचित जनजाति में आपने लिया है, लेकिन चसोर, जो बंगाल से आकर बिहार में बसे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है । अत: मैं यह चाहता हूं कि चसोर जाति को भी आने वाले दिन में जनजाति में जोड़ना चाहिए । उसी तरह से हम लोग बंगाल के बॉर्डर में हैं । वहां एक राजवंशी जाति है, जिसको बंगाल में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है, लेकिन राजवंशी, जो बॉर्डर में हैं, बंगाल-बिहार से जिनका रिश्ता-नाता, रोटी-बेटी का संबंध है, लेकिन बिहार में उनको अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं है । अत: मैं इनके लिए भी केंद्र सरकार से मांग करता हूं । इसके अलावा, जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा भी था, जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है । यह जो मल्लाह जाति है, जिसको हम मछुआरा कहते हैं, इसके लिए बार-बार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को याचना भेजी है कि मल्लाह, मछुआरा जाति को भी इसमें शामिल करना चाहिए । वर्ष 2019 में सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार की जो नीति है, देश के विभिन्न प्रांतों में जो अनुसूचित जनजाति की छूटी हुई उप जातियां हैं, आप उनको संकलित करके और उनकी विसंगतियों को दूर कर रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि बिहार में जो भी विसंगतियां उप जातियों के साथ हैं, कपा करके बिहार पर ध्यान देकर इसको भी दुर करने का काम करें, जिससे बिहार में ऐसी अनुसुचित जनजातियों को लाभ मिलेगा । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me the opportunity to speak on the amendment bill for inclusion of some communities of Andhra Pradesh and Odisha in the SC/ST list. I am thankful to you for considering these backward communities for inclusion as they can get reservation and ensuring their socio-economic development. I thank you for including Narikkuravar and Kuruvikkarar communities of Tamil Nadu in the ST list earlier on a demand of the State government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, people belonging to the fishermen community live in large numbers in our Ramanathapuram area who are educationally and economically backward. There is a long pending demand from this community for inclusion in the list of STs. I urge that you should consider for including the fishermen community of our area in the

list of STs. Even after 75 years of Indian Independence, we have been including the backward communities in the lists of SCs and STs for ensuring their development. Can you clarify that how many more will be included in this list and which are the communities to be included? On one side, this Government is ensuring this reservation so that these communities get educational and employment opportunities for their socio-economic development. On the other side, year after year, this Government has been reducing the allocation of funds meant for education and scholarships of SCs and STs. You have been privatising our PSUs. The people of these communities get employment only in these PSUs through reservation and if you start privatising them, their future becomes gloomy. The Government is not providing them the Scholarships. This Government on the other side is misleading in the pretext of providing employment by extending reservation to these communities by including them in the lists of SCs and STs. This is for sure to prove the double standards of the present Government. I condemn this. This government must ensure whether the concessions given to SCs and STs are fully utilised by them besides implementing their reservation in due manner. I demand that even if there is privatisation of PSUs, benefits of reservations are to be extended to these communities without fail. Thank you for this opportunity.

श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार): Hon?ble speaker Sir, thank you for giving me the opportunity to speak The Constitution (scheduled castes and scheduled tribes) orders (amendment) bill, 2024. This bill is about providing reservation for inclusion of (i) Bondo Porja, (ii) Khond Porja, and (iii) Konda Savaras into the list of scheduled tribes.

This is the vision of Shri Narendra Modi ji. He has given us a slogan of Sabka Saath Sabka Vikas. With this noble objective the honble Prime Minister is ruling the country for the past 10 years. We have our first women scheduled tribe woman Smt Draupadi Murmu as the President of India. The Congress party shown disrespect and speaking low for our honorable Rashtrapati ji.

On 22nd January 2024 we installed the Lord Ram in Ayodhya Ram Mandir. The government has renamed the airport at Ayodhya after Valmiki in the respect to the Scheduled tribe community.

The Congress party, from the beginning ruled the country for 60 years. They just planted the seed of poison amongst all the communities. They have been continuously following the British policy of divide and rule in the country as was done by the colonial period.

They say that BJP brought this bill at the time of election. They are opposing for our claim of 400 seats. Just after 3 months they will understand what their position would be.

Prime Minister Modi has given funds to the state of Karnataka we should remember this. In the states of Andhra Pradesh, Odisha these three communities are living. Now they are being included in the scheduled tribe list.

From the last 60 years they they have ruled the country and established only 100 Ekalavya residential schools. But now 600 Ekalavya residential schools have been sanctioned and 400 schools are functioning. Our honble Minister Shri Arjun Munda ji and Smt Bharati madam have done tremendous work in this regard. As a result the schools are functioning very well and imparting quality education to the tribal students. Today the Congress say that they are pro dalits and pro scheduled castes. However Dr Babasaheb Ambedkar was not given the due respect by the Congress party.

Even when he contested elections the Congress made all efforts to defeat him. This was the insult the congress did to the tall leader of the scheduled castes. You gave Bharat Ratna to Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru and Rajiv Gandhi but the person who is considered as the founding father of the Constitution Dr Baba Saheb Ambekar was not given the Bharat Ratna. It was during V P Singh government, the Bharat Ratna was awarded to Dr. B R Ambekar. That is the respect we give to Ambedkar.

When Hindu code bill came up for the discussion the Congress disrespected Ambedkar. The Congress people disrespected him and also defeated him in the elections. Congress did not give Bharat Ratna to Ambedkar. Instead the Congress gave Padma Bhushan award to the candidate, who defeated Dr. Babasaheb Ambedkar.

In this scenario when we are trying to give justice to the scheduled castes and scheduled tribes under the leadership of Modi the congress gives election colours to it. Under Jan dhan yojana Modiji ensured social justice to all the communities.

Today, Shri Narendra Modi has given benefits to all the communities and equal justice to all. The objective of his initiative is to empower the people.

Yesterday we saw the tallest leaders of Congress from Karnataka are bombarding in Delhi that Karnataka has been meted out injustice and lost about Rs.8,000 crore in 10 years.

From 2014-2024 the Centre has given ₹ 281000 crore for developmental works. Be it the functioning of local panchayat, construction of houses, toilet construction or free food grains to the poor, the distribution of Ujwala Gas, the gram sadak yojana, the highway construction for the development of Karnataka with the said funds.

The opposition questioning us about dalits, but they themselves have disrespected the dalits. I belong to a Dalit community from Kolar district of Karnataka and I have stood here with my self respect.

In Kolar district of Karnataka state Channa dasari, Gonda- kuruba and other communities have not received the community/caste certificate. Due to this they have failed to enjoy the benefits due to the scheduled caste and scheduled tribes including reservation benefits.

Today Shri Arjun Munda Sir and Smt Bharati Madam have brought this bill and are thriving to bring justice to these communities. In the coming days these communities will also receive better education and other facilities.

This is my request that when the BJP was in power in the staof Karnataka, 17% reservation given to st community. For which the due credit should be given to former Chief minister Shri Basavaraj Bommai ji and Yediyurappa ji.

Similarly for the SC community the reservation was enhanced from 3% to 7% during the tenure of Bommai ji. The opposition doesn't recognise the same, but they are talking disrespectful towards the community and spreading communal ideas inside and outside the Parliament.

We removed article 370 of Jammu and Kashmir, removed triple talaq for Muslim women. In Jammu and Kashmir now a Muslim woman would say I have not seen God but seeing god in Modiji. Women wish to see shri Narendra Modi ji as Prime Minister and blessing him.

We used to hear sounds bombs every day in Kashmir but now we see peaceful life.

The people of Jammu and Kashmir are saying next time also BJP should come to power to make India a developed nation.

And Congress should remove the seeds of poison from the society. They should work for the development of the country and should not talk about the division of the country. Yesterday Mr. D K Suresh spoke of the same. He should apologize to the Parliament.

Today our Union Government brought this bill to give reservation to scheduled tribes. For this I once again thank and support the bill. Dhanyavad, Jai Bharat.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापित महोदय, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है और हमें इसका तर्क बताना चाहिए कि हर लोक सभा के अधिवेशन के अंदर आप ये कॉन्स्टीट्यूशन शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल अलग-अलग राज्यों के लेकर आते हैं। आप कभी कर्नाटक का लेकर आते हैं, कभी जम्मू और कश्मीर का लेकर आते हैं तथा आज आप ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश का लेकर आए हैं। ये बहुत अहम मुद्दे हैं, जहां पर आप कॉन्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं और किसी ट्राइब को इन्क्लूड कर रहे हैं। आप पूरे देश का एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आइए। टुकड़ों-टुकड़ों में लाने का हमें भी कुछ तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे आपका क्या मकसद है।

सभापित महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार को किसी को कुछ देना नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि कमेटी बना लीजिए । मैं किस मुद्दे के ऊपर यह बात कर रहा हूं और हमारी भारती पवार मैडम महाराष्ट्र से आती हैं, वह भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वर्ष 1955 से महाराष्ट्र का एक धनगर समाज गुहार लगा रहा है । सरकारें कितनी आईं और चली गईं । उनकी यह मांग है कि हमें शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इन्क्लूड किया जाए । महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को एनटी के अंदर इन्क्लूड किया गया है और सेंट्रल लिस्ट के अंदर उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है । यह अजीब तरह का तर्क है । आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनगर और धनगढ़ एक ही हैं । धनगर समाज के लोगों का भी कहना है कि दूसरे राज्यों के अंदर, चूंकि वहां पर धनगढ़ लिखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें धनगर बुलाया जाता है तो महाराष्ट्र की सरकारों ने इन धनगरों के साथ कैसी नाइंसाफी की है । वह कहते हैं कि यह स्पैलिंग मिस्टेक है । आप धनगढ़ नहीं है तो हम आपको एसटी के अंदर इन्क्लूड नहीं कर सकते हैं ।

राणे साहब आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मराठाओं को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। जरांगे पाटील का हम सम्मान करते हैं कि एक छोटे से गांव के सामान्य आदमी ने पूरे महाराष्ट्र सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप लोगों ने धनगर समाज का कोई नेता तैयार नहीं होने दिया और सिर्फ अपने राजनैतिक स्वार्थ के खातिर ऐसा किया। धनगरों की आबादी कितनी है? धनगरों की 45 ट्राइबल्स महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। कोई कहता है कि चार परसेंट है और कोई कहता है कि दस परसेंट है, क्योंकि वर्ष 2011 के सेंसस के हिसाब से ये बातें चली आ रही हैं। इसलिए जब कास्ट सेंसस होगा तो इनका डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होगा कि इनकी आबादी कितनी है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके हिसाब से ही सब काम चलता है। हमारा यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इनको कुछ नहीं दे रही है तो राणे साहब, 20 नवंबर, 2023 को एक बार फिर से धनगरों के हाथ में एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं।

वह कमेटी यह तय करेगी कि दूसरे राज्यों के अंदर तुमको जो बेनीफिट दिए जा रहे हैं, वह महाराष्ट्र के अंदर कैसे देना है तो यह कमेटी बना दी है । कमेटी के बारे में आपको मालुम है कि कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी और कमेटी के ऊपर कमेटी । यह आप भूगत चुके हैं । आप देख चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था तो कितनी सारी कमेटी बना दीं । आखिर लोगों ने बोला कि हम सडक के ऊपर आएंगे । आप धनगरों के साथ क्यों इस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं । जब कुछ नहीं देना होता है तो होता यह है कि केन्द्र सरकार कहती है कि हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है । जबकि श्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस के नेता और लीडर्स यह मांग करते हैं कि इनको देना चाहिए । उस वक्त उन्होंने झुठ कहा था कि हमने ऑलरेडी केन्द्र सरकार को भेज दिया है कि धनगरों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए । पृथ्वीराज चव्हाण साहब, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झुठ बोला था । कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था । अब तो आपकी ही सरकार महाराष्ट्र के अंदर है । आप केंद्र में भी बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र में भी आप बैठे हुए हैं । अब तो एक-दुसरे के ऊपर इलजाम लगाने का कोई मतलब नहीं है । आपको अगर सही मायनों में इंसाफ देना है तो दे सकते हैं । महाराष्ट्र के अंदर आपको मालुम है कि अगर हम 48 लोक सभा सीटों की बात करते हैं तो चार लोक सभा की सीटों के अंदर तो सिवाय धनगर के कोई आना ही नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बारामती में उनका टोटल इनफ्लूएंस है । माधा, पूरा धनगर समाज का है, वहां से आना चाहिए । इसके अलावा शोलापर और सतारा है । ये चार लोक सभा की सीटें हैं । 280 विधान सभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 35 से 40 विधान सभा की ऐसी सीटें हैं, जहां पर सिर्फ धनगर समाज का ही प्रतिनिधि चुनकर आ सकता है । धनगर समाज का इतिहास रहा है । अहिल्याबाई होल्कर जी का आपने नाम सुना होगा । 18 वीं सदी में एक महारानी थीं, जिन्होंने अपने समाज के लिए काम किया । लेकिन उनकी पहचान महारानी की नहीं है । उन्होंने अपने समाज के लिए और अपनी जेनरोसिटी के लिए जानी जाती थीं । आज धनगर समाज कई सालों से जालना जिले के अंदर अहिल्याबाई होल्कर के लिए जगह मांग रहा है और आप वह जगह भी नहीं दे रहे हैं। अपने समाज के लिए इतना काम करने वालीं हैं । हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अहिल्याबार्ड होल्कर के स्मारक के लिए बड़ी जगह दी जाए ।

महोदय, सांसद कहते हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए । लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मुझे आपसे मांगना मतलब अपना सिर दीवार के ऊपर फोड़ना है, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है कि हम आपको सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है । इसलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है । उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए । अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे, राणे साहब, जिस्म का अगर एक हिस्सा कमजोर हो गया तो वह ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है । वह अपाहिज हो जाता है, वह हेण्डिकैप्ड हो जाता है । इसीलिए अगर आपको इंसाफ करना है, तो आप जिस तरह से आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एड कर रहे हैं तो मेरी यह मांग है कि धनगरों को भी आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन देने का फैसला करिएगा और कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे । कभी न कभी तो करेंगे । एक न एक दिन आपको यह एहसास होगा कि यह भी मेरा एक भाई है और इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए ।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, I stand here to support both the Bills namely, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024 and the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024. India has an ancient civilisation with rich culture and heritage of unity and diversity. Indians cherish the values of

religious harmony, non-violence and peace which are enshrined in the Constitution of India. India has made a tremendous advancement in scientific, technological, economic and many other fields for which we feel proud of. All this has happened with the contributions of each and every citizen of India.

Sir, the Government has brought this Bill for Andhra Pradesh and Odisha.

A Bill for amending of the Sixth Scheduled has been there for the last five years. The Committee had been constituted for this. The Committee visited all the North-Eastern States. But till now, the Bill has not been brought back to the Parliament.

The people under Sixth Schedule Areas are hundred per cent tribals. Why has that Bill been shelved? Why has that Bill not been brought? I demand from the Government that the Bill for amending the Sixth Schedule should be brought back and passed in this House.

There is another important aspect. The Baite community in Meghalaya is a tribal community. But it is tagged as a part of Kuki community. Last time, the hon. Minister assured us that the North-Eastern Hill University has been entrusted with of job of research in relation to this. But till now, it has not given any report. I demand from the Government that the Baite community should also be given a tribal status.

I am here as a tribal; I am here as a Christian. Crores of our Dalit Christians have been denied the rights of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes. Therefore, I request the Government to see and do equitable justice to the Dalit Christians and they should be brought under the Scheduled Castes. The benefits of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should also be given to Dalit Christians. Catholic Bishops? Conference of India has exactly moved on this line in order for India to grow. In order for people to grow, we have to see that the issue of Scheduled Castes should not be mixed with religion.

Shri Tapir Gao has said that this Government has solved lot of problems of the Scheduled Tribes. The Framework Agreement has been signed between the Government of India and NSCN-IM. Till now, the issues have not been solved. Until and unless the issues between the Government and NSCN-IM are settled, the entire North-East will remain disturbed and it will not get peace. Therefore, I demand from the Government that the solution should be brought as soon as possible. Then only we can say that the Tribals in the North-East will be developed.

There are Autonomous District Councils in North East India. For the last one year, these Councils have not got their salaries. Why? It is because there is no direct funding from the Government. Only adding the Tribals in the List is of no use until and unless we provide them with funds.

Therefore, I demand from the Government that direct funding should be given to the Autonomous District Councils in Meghalaya and the rest of the North-Eastern States so that the salaries can be paid and the people can also enjoy the benefits of being a tribal. With these words, I conclude my speech and I support the Bill. Thank you.

माननीय सभापति : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे भी बोलने के लिए मौका दीजिए । मुझे पार्टी की तरफ से बोलने के लिए समय दिया गया था । यह क्या बात है?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के काफी लोग बोल चुके हैं।

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, listen to the hon. Minister.

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय सभापित महोदय, आज के जो बिल हैं, वे आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के संबंध में है । संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पर इस सदन में अच्छी चर्चा हुई । यहां पर काफी गंभीर तथा अच्छी चर्चा की गई, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ ।

जिसमें आदरणीय सांसद श्री सप्तिगरी शंकर उलाका और आदरणीय मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी ने इस पर बहुत अच्छा विवरण भी दिया । डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस, प्रोफेसर सौगत दादा, श्री एन. रेड़डप्प, श्री रमेश चन्द्र माझी, श्री गिरीश चन्द्र, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री तािपर गाव, श्री अब्दुल खालेक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री के. नवासखनी, श्री एस. मुनिस्वामी और श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील भाई ने चर्चा में भाग लिया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा इस माध्यम से हुई है । मैं एक बार फिर बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि आप इस चर्चा को सुने की पीवीटीजी क्या है? आज जिनको सम्मिलित किया गया है, यह पीवीटीजी क्या है? एक प्रोसिजर होती है और उस प्रोसिजर से कई आदरणीय सांसदों ने कहा है कि इन्हें

सिम्मिलित किया जाए । हर एक राज्य से अलग-अलग माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । इसकी एक प्रिक्रिया है और इस प्रिक्रिया को भी जानना बहुत आवश्यक है । शेड्युल्ड ट्राइब के संशोधन के अनुसार कुछ तौर-तरीके भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार उस राज्य में, उन प्रस्तावों पर संशोधन किया जाता है । उसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और उसे उचित ठहराया जाता है एवं उसके बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल, आरजीआई के बाद उसे एनसीएसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमित दी जाती है । मुझे लगता है कि आप सभी इस पर जरूर गौर करेंगे । इस प्रोसीजर को समझेंगे और शेड्युल्ड ट्राइब की लिस्ट में लाने के लिए आज का विषय बहुत ही स्पेसिफिक है । उसमें आपके बहुत अलग-अलग सुझाव मिले हैं कि इसको सिम्मिलित किया जाए । हर एक राज्य के सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है, लेकिन आज स्पेसिफिक जनजाति का विषय है, उसमें भी जो हमारे प्रीमिटिव्स हैं, वे कम होते जा रहे हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ जनजातियों की ही नहीं बल्कि उसमें भी अतिपिछड़े जनजाति पर गौर किया । उनको ढूंढा । उनकी संख्या कम होती जा रही है और अभी इस दृष्टि से उनका विकास होना जरूरी है ।

16.33 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

इस दिशा में प्रधानमंत्री जन मन विकास के योजना से एक बजट दिया । बजट की सिर्फ घोषणा नहीं हुई, बल्कि उस बजट को तुरंत लागू किया गया । 24 हजार करोड़ रुपए का अलग बजट दिया गया । हमने रूरल डेवलपमेंट की बात कही थी, एक लाख घरों के लिए भी बजट दे दिया गया है । इसके अलावा हमने 1200 किलोमीटर रोड भी सैंक्शन किया है । जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ऐसे 1830 घरों तक इस स्कीम से वाटर सप्लाई पहुंचाने का काम जारी है । जैसे-जैसे डिमांड आएगी, वैसे-वैसे बजट बढेगा । इसके अलावा हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, तो मोबाइल मेडिकल युनिटस मुख्य हैं । जैसा कि तापिर भाई ने कहा है कि हमारे ईएमआर स्कूल्स के लिए कुछ अलग से नॉर्म्स बनाइए । हमारे जनजाति समुदाय के भाई पहाड़ी इलाको में रहते हैं । हम उसमें मेडिकल यूनिट्स को भी ऑपरेशनल कर रहे हैं । लगभग 100 एजुकेशन फंड के माध्यम से हॉस्टल्स सैंक्शन हो रहे हैं । वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से 900 आंगनवाड़ियां सैंक्शन हो चुकी हैं । जिनके लिए बजट भी दे दिया गया है । ट्राइबल अफेयर के माध्यम बीडीवीकेज, बंधन केन्द्र भी सैंक्शन हुए हैं । उनके अलावा मल्टी परपस सेंटर्स सैंक्शन हुए हैं । यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके अलावा आदि आदर्श ग्राम योजना जैसी योजना भी है । जनजातीय विकास मिशन ट्राइफेड के माध्यम से चल रहा है । हमारे साथी ने कहा है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आप एन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ कहिए । आदि महोत्सव जैसा बडा मेला भी लगता है । जिसमें हमारे ट्राइबल के आर्टिजंस को भी परखा जाता है । उनको मेले में प्राइज भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि एन्टरप्रेन्योरशिप पर भी इस सरकार का ध्यान है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद भी देती हूं ।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है??(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अधीर रंजन जी, अगर मैं कल की बात कहूं।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अंडमान निकोबार के लोगों इसमें शामिल नहीं किया जाता।?(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है । मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने चिंता की है । पीएम जनमन के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 18 राज्य और एक यूटी, जिसमें अंडमान-निकोबार को बजट दिया गया है । शायद आपने वह बजट पढ़ा नहीं है ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : पीवीटीजी में शामिल नहीं किया है ।? (व्यवधान) आप देख लीजिए ।? (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : पीवीटीजी में ही किया है ।? (व्यवधान) आप पढ़िये । आप मेरे मंत्रालय में आइये ।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: फंड काफी बाकी रह गया है।? (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जनजाति के लोगों का इतना विकास हो रहा है कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार महामिहम राष्ट्रपित बनी हैं । इस बात का आपको स्वागत करना चाहिए ।? (व्यवधान) मुझे लगता है कि उसके अलावा? (व्यवधान) जनजातीय मामलों का मंत्रालय स्वतंत्रता के बाद सितंबर, 1985 तक गृह मंत्रालय में था । फिर हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री 1985 से 1998 तक सामाजिक न्याय मंत्रालय में थी, तब तक हमारा विचार नहीं हुआ । जब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने हमारी संस्कृति और रक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया । हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बजट भी दिया । यह बात आप भली-भांति जानते हैं कि वह बजट भी बढ़ा है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी सहमत हैं।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : कई सारे सांसदों ने कहा कि बजट का क्या, फाइनेंस का क्या, लेकिन यह बजट बढ़ा है । दो बजट के अलावा, ?पीएम जनमन? का तीसरा बजट अलग है । यह 24 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट है और वह हमारी अलग-अलग मिनिस्ट्री से ट्राइबल वेलफेयर के लिए जाता है । आज वह बजट बढ़ा है और वह 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये हुआ है । बजट पांच गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बजट तीन गुना बढ़ा है । आज वह 4200 करोड़ रुपये से 12 हजार 400 करोड़ रुपये हुआ है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, सात गुना बजट बढ़ गया है, क्या आपको उस पर कुछ कहना है?

डॉ. भारती प्रवीण पवार : मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी बातें हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सात गुना बढ़ गया है, उस पर आपको कुछ कहना है?

प्रो. सौगत राय: यह अच्छी बात है।? (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज ऐसी कई बातें हैं, चाहे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात हो या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस पर काम करना शुरू किया है। अभी एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन की ओर काम करने की सरकार की मंशा है और इस दिशा में पूरी तरह से यह सरकार प्रतिबद्ध है। यहां बहुत सारी चर्चाएं अच्छी हुई हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूं। कई सदस्यों ने सवाल जरूर किए हैं, लेकिन सभी ने अपने सुझाव? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ बोल रहे थे? मंत्री जी, एक मिनट रुकिये । आप इनका क्लेरिफिकेशन दे दीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : मैडम, आप महाराष्ट्र से आती हैं । आप धनगरों के बारे में भी बोलिये।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है।

? (व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही शुरुआत में यह कहा? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट रुकिये । आप मसूदी जी के सवाल का जवाब दीजिएगा ।

? (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, आपने मुझे इजाज़त दी, उसके लिए आपको शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: यह जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है।

? (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी: सर, यह तो पूरे मुल्क के लिए हैं । मेरी यह गुजारिश है कि यह सही बात है कि हम इससे एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी जो कुछ कम्यूनिटीज़ हैं, वे तरक्की की दौड में पीछे रह गई हैं । यह उनको लेवल पर लाने का एक अफर्मेंटिव एक्शन प्लान है, लेकिन वास्तव में कुछ होना चाहिए ।? (व्यवधान) अब देखिए, मैं दो मिनट में जम्मू कश्मीर का हिसाब रख दूंगा । वहां पर हमारे देश की जो आबादी जाती है, जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, उनके लिए हमने एजुकेशन सेन्टर्स बनाए हैं । वे सीजनल हैं और पिछले आठ-दस सालों से उनके जो टीचर्स हैं, उनको डिसएंगेज किया जाता है । वहां पर ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर रेन शेडो एरियाज़ हैं । वहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है ।

जनाब, आज डिजिटल एजुकेशन का जमाना है। वहां पर रेन शेडो एरियाज़ हैं, जहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तकरीबन उन सभी एरियाज़ में यह कम्यूनिटी रहती है। इससे उनके बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की एक्सेस नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि इसी साल 17 फीसदी कम बजट दिया गया है। जनाब, हेल्थ केयर के हवाले से, उज्ज्वला के हवाले से जो भी प्रधान मंत्री जी ने सराहनीय स्कीम्स बनाई हैं, उनकी शुरुआत की है। लेकिन उनको इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और न ही उनको डिजिटल एजुकेशन की एक्सेस है। वास्तव में इस रियलिटी को देखकर उनके लिए एकदामात उठाने की जरूरत है। यह अपनी जगह है कि आपने किसको इनक्लूड किया, किसको नहीं किया है। लेकिन आप नोट कर लीजिए कि ये जो हमारे सीजनल एजुकेशन सेन्टर्स हैं, 10 साल से डिसएंगेज के लिए हमारा यह मुतालबा था कि जम्मू और कश्मीर में उनको स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए। वहां पर ट्रेनिंग नहीं होती है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने जो चिन्ता जताई है, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन आप पहले समझ लें कि जनजातीय मंत्रालय अलग होना और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना, सिर्फ बजट देना ही नहीं, बल्कि उसे अलग-अलग मंत्रालयों से भी जोड़ना, उसके बाद प्रधानमंत्री जन-मन का कार्यक्रम आना, जो अति पिछड़े हैं, विशेष तौर पर वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके विकास के लिए यह सरकार काम कर रही है।

आज भी, जहाँ आन्ध्र प्रदेश के तीन समुदाय- बोंडो पोर्जा, खोंड पोर्जा और कोंडा सवारा को पीवीटीजीज को तथा ओडिशा की पौड़ी भूइयाँ, चुक्तिया भूइयाँ, बोंडा और मंकिडी समुदाय वंचित थे। इनकी तरफ वे कभी नहीं आए, उन्होंने कभी मांग भी नहीं की। वे ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, वे जंगल, जमीन से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र भक्त की तरह वे अपना काम समर्पित भाव से कर रहे हैं। वे ऐसी पिछड़ी जनजातियाँ हैं कि उनको आज तक न्याय नहीं मिला।

यह आज का संशोधन है, जो उनको न्याय देने की दिशा में है। आज जरूर इस पर चर्चा करें, लेकिन आप उनके समर्थन में उनके साथ खड़े रहें तािक जो 70 साल से वंचित थे, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। अगर आज यह बिल पारित होता है, तो उनके लिए घर, पानी की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से उनको न्याय मिलेगा।

मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय अर्जुन मुंडा जी के दिशा-निर्देश में इस मंत्रालय की तरफ से पूरा न्याय मिलेगा ।

धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 34.

प्रश्न यह है:

?िक आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।? <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u> माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 35. प्रश्न यह है: ?कि ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।? <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u> माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है: ?खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।? प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 2 से 4 विधेयक में जोड दिए गए। अनुसूची 1 विधेयक में जोड दी गई। अनुसूची 2 विधेयक में जोड़ दी गई। खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए । डॉ. भारती प्रवीण पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ : ?कि विधेयक पारित किया जाए ।? माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है : ?कि विधेयक पारित किया जाए ।? प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16.45 hrs